

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
लोक उद्यम विभाग  
\*\*\*\*

लोक उद्योग भवन,  
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,  
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003  
दिनांक : 12 मार्च, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले कर्मचारियों को 5वें सीपीसी वेतन मानों पर 01.01.2019 से महंगाई भत्ते का भुगतान।

\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें जो उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा शासित होती हैं, का उल्लेख किया गया था।

2. इस विभाग के दिनांक 23.10.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित सीपीएसईज़, जिन्होंने लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/2008-लोउवि (मजूरी कक्ष) के सन्दर्भ में अपने वेतनमानों में संशोधन नहीं किया है, के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति नहीं दी है, उनमें देय महंगाई भत्ते की दर 01.01.2019 से वर्तमान 334% से बढ़कर 345% हो जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति दी है, उनमें देय महंगाई भत्ते की दर, 01.01.2019 से वर्तमान 284% से बढ़कर 295% हो जाएगी।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. महंगाई भत्ते के बकाया राशि का भुगतान मार्च 2019 के वेतन के संवितरण की तारीख से पूर्व नहीं किया जाएगा।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों के ध्यान में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ला देने का अनुरोध किया जाता है।



(समसुल हक)


अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर डालने हेतु।



(समसुल हक)

अवर सचिव, भारत सरकार